13/5/2022 — पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली [illegible] [illegible] में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है इसलिए पत्रावली को अग्रिम सुनवाई पर कार्यवाही चाही गई। पत्रावली में टेकटरमन (प्रति०1 की) कार्यवाही की गई थी शेष ने सुनिश्चित किया था। प्रार्थीगण [illegible] बहस सुनी गई। प्रार्थीगण विभाजन से पक्षकारान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:32 IST
Reason: SelfAttested

.... बनाम ....

बउनवान .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

धारा ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	सहमत है। मुताबिक प्रार्थना विभाजन फाईनल डिक्री जारी हो। आदेश सरे इजलास सुनाये गए। पत्रावली मुकम्मल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 132/2021 तारीख दायरा:– 04.10.2021

उनवान

1. मुकेश कुमार खींची पुत्र रामनारायण जाति खटीक।
2. गायत्री खींची पत्नि मुकेश कुमार खींची जाति खटीक निवासीगण सांगोद हाल गोपाल विहार कोटा।
3. बृजेश वसवाल पुत्र सत्यनारायण जाति खटीक निवासी महावीर नगर विस्तार योजना कोटा।

–वादीगण

बनाम

1. रामावतार पुत्र नाथूलाल जाति खटीक।
2. रामावतार पुत्र रामगोपाल जाति बलाई निवासीगण सांगोद कोटा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

दिनांक :– 16.03.2022

श्री बहादुर सिंह (वकील वादीगण)

श्री लोकेश पोटर (वकील प्रतिवादी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:32 IST
Reason: SelfAttested

–– निर्णय ––

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी ख.न. 329 रकबा 2.72 है. वाके ग्राम सांगोद जिला कोटा में स्थित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त रूप से खातेदार हैं। उक्त आराजी में वादीगण कुल आराजी के 61/135 भाग अर्थात कुल रकबा 2.72 है. में से 1.22 है. पर काबिज काश्त है जो आराजी के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2 आराजी के मध्य भाग एवं प्रतिवादी सं. 1 आराजी के उत्तरी भाग में हिस्से अनुसार काबिज काश्त हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपनी काश्त की सुविधा हेतु कृषि जोत का विभाजन कर रखा है तथा अपने–अपने हिस्से की उक्त विभाजन अनुसार मेडबन्दी कर रखी है जो मौके पर स्थित है।

राज्य सरकार की योजनाओं के तहत कृषि भूमि से संबंधित कृषि विकास कार्य, ऋण लेने, विद्युत कनेक्शन आदि लेने बाबत संयुक्त खातेदारी की भूमि में सभी खातेदारों की सहमति आदि का प्रावधान होने एवं उक्त आराजी के खातेदार एक परिवार के नहीं होने से कृषि कार्य योजना सम्पन्न नहीं हो पा रही है जिसके लिए राजस्व रिकार्ड में बंटवारा करवाना आवश्यक हुआ है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से दिनांक 21.09.2021 को उक्त आराजी के रिकार्ड में बंटवारा करवाने हेतु तहसील कार्यालय सांगोद में उपस्थित होने बाबत कहा जिस पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया जिस पर वादीगण द्वारा वाद न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:32 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है [illegible] प्रा[illegible]क डिक्री पारित करते हुए प्रतिवादी सं. 3 को आदेशित किया जावे कि वो [illegible] जांच आराजी के खातेदारों के विभाजन रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर फाईनल डिक्री

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

पारित कर प्रतिवादी सं. 3 को राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार मिन नम्बर कायम करते हुए विभाजन अंकन किये जाने के आदेश पारित करें।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री लोकेश पोटर द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से वकील श्री सुशील कुमार शर्मा द्वारा अण्डर टेकिंग दी गई परन्तु बाद में न तो वे स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए ना ही प्रतिवादी सं. 2 स्वयं उपस्थित हुआ अतः प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 3 राजस्थान सरकार प्रकरण में फॉर्मल पक्षकार है। इसके बाद वादीगण अधिवक्ता ने इकबाली जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबंदी, इकबाली जवाब दावा आदि का अवलोकन करने पर वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार कर प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 329 रकबा 2.72 है. आराजी में मौके पर काबिज काश्त की स्थिति अनुसार विभाजन रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार सांगोद को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है एवं कमीश्नर फीस 200 रूपये मुकर्रर की जाती है। उक्त कमीश्नर विभाजन प्रस्ताव रेवेन्यु नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार कर उक्तानुसार की मुर्तिब की जावें। विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramavtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

निर्णय आज दिनांक 16.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:32 IST
Reason: SelfAttested